

11
आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

तारीख 2.2.12

क्र. 13

उन्वान - शिवराम पी. रामसहाय कर्जा

दावा - वायत ह्याची निषेधाज्ञा व तक्रार


वादी की ओर से श्री विजय भारतीय एडवोकेट ने
वायत ह्याची निषेधाज्ञा व तक्रार पेश किया की
अस्तित्वन किया गया। प्रतिवादीगण जांचे सम्मन
नसकें। दावा दर्ज रजिस्ट्रार कर दिनांक 23.2.12
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राज.)

23³/₁₂ वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं 1, 6, 7
की तक्रार विधिवत हो चुकी है। वायत ह्या
की तक्रार कोही उपस्थित नहीं। कुछ शेष
के तक्रार कोही उपस्थित नहीं हुए हैं।
वादी इन्जिनर तक्रार-प्रतिवादी नं 2, 3,
4, 5, 8, 9 साइज सुमण वर पेश की है।
वादी भूमि मालिक पतावली दिनांक
26/3/12 को पेश हो।

26³/₁₂ वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं 1, 2, 4 की ओर
से श्री मनोज कुमार शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश
किया। प्रतिवादी नं 5, 6, 7 वायत ह्या तक्रार उपस्थित
नहीं। शतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के
आदेश दिजे जाते हैं। प्रतिवादी नं 3 का सम्मन

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>10/15</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बाकी कवाची कमील उपस्थित नहीं। बार 2 आवाज डिलारी जायी। फिर भी बोर्ड उपस्थित नहीं। इसलिए दावा अदम हाजरी अदमपेखी में खारिज किया जाता है। फेसल शुभर होकर नम्बर से काम कर दाखिल वफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करीली) </p>